



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 674 राँची, शुक्रवार, 27 अग्रहायण, 1942 (श०)
18 दिसम्बर, 2020 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

17 दिसम्बर, 2020

संख्या-एल0जी0-09/2018-391/लेज0-- झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर माननीय राज्यपाल दिनांक-11/12/2020 को अनुमति दे चुकीं हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2020
(झारखण्ड अधिनियम संख्या- 11, 2020)

झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 में संशोधन हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के सत्तरवें (71वें) वर्ष में झारखण्ड विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ -

- (1) यह अधिनियम झारखंड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जा सकेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखंड राज्य में होगा ।
- (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-7 की उपधारा (7) के पश्चात् नई उपधारा- 8 निम्नवत अंतःस्थापित किया जायेगा:-

"(8) इस अधिनियम के अनुसूची-1 भाग-ग में अंकित मोटर वाहनों एवं ट्रैक्टर का कर भुगतान उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर एकमुश्त कर अथवा वार्षिक किश्त का निर्धारण संलग्न अनुसूची-1 भाग-च में अंकित दर के अनुरूप करते हुए पथकर का भुगतान वैसे वाहन स्वामियों द्वारा किया जा सकेगा, जिनका वाहन दिनांक-31.01.2019 के पूर्व निबंधित है। वैसे वाहन स्वामी सुविधानुसार एक मुश्त कर अथवा वार्षिक कर प्रतिवर्ष देय अवधि तक भुगतान कर सकते हैं। यह सुविधा दिनांक-31.01.2019 के उपरांत निबंधित वाहनों के लिए उपलब्ध नहीं है।

परन्तु इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के तिथि के उपरान्त विनिर्दिष्ट अवधि (30 दिनों के अन्दर) में अनुसूची-1 भाग-ग एवं भाग-च में अंकित एक मुश्त कर देने वाले वाहनों तथा ट्रैक्टर एवं ट्रैक्टर के टैलर द्वारा एक मुश्त कर अथवा वार्षिक कर जमा नहीं करने तथा विलम्ब से एक मुश्त अथवा वार्षिक कर जमा करने की स्थिति में वाहन के भुगतान किये जाने वाले एक मुश्त कर अथवा वार्षिक कर का 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से अर्थदण्ड वसूलनीय होगा "।

3. झारखंड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-7 की अनुसूची-1 भाग-क के स्तंभ-6 को निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

(i) अतिरिक्त कर वाहन के जी.एस.टी. रहित क्रय मूल्य का 3 प्रतिशत की दर से एकमुश्त कर खंड-अ एवं ब कॉलम-5 में उल्लेखित दर के अतिरिक्त अर्थात् $(6\$3)=9\%$ की दर से वैसे वाहन स्वामियों से लिया जायेगा जिनके नाम पर पूर्व से व्यक्तिगत चार पहिया मोटरवाहन निबंधित हैं ।

(ii) अतिरिक्त लगजरी कर वाहन के जी.एस.टी. रहित क्रय मूल्य का 3 प्रतिशत की दर से एकमुश्त कर खंड-अ एवं ब कॉलम-5 में उल्लेखित दर के अतिरिक्त अर्थात् $(6\$3)=9\%$ की दर से वैसे वाहनों पर लिया जायेगा जिनका जी.एस.टी. रहित मूल्य 15 लाख रुपये से अधिक हो तथा वाहन स्वामी के नाम से पूर्व से कोई व्यक्तिगत चार पहिया मोटर वाहन निबंधित नहीं है ।

(iii) वैसे वाहन स्वामी जो 15 लाख रुपये से अधिक मूल्य (GST रहित) का वाहन क्रय करते हैं एवं उनके नाम से पूर्व से चार पहिया वाहन निबंधित है, तो कर की दर वाहन के GST रहित क्रय मूल्य का $(6\$3\$3)=12\%$ की दर से एकमुश्त कर देय होगा ।

4. झारखंड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-7 में उपधारा (7) निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

"ट्रैक्टर के जी.एस.टी. रहित क्रय मूल्य का 4% (चार प्रतिशत) एकमुश्त कर 20 वर्षों के लिये देय होगा ।

परन्तु यह कि ट्रैक्टर के टैलर के निबंधन के समय टैलर से 5,000/- (पाँच हजार) रुपये एकमुश्त पथकर 20 वर्षों के लिये वसूलनीय होगा ।

परन्तु यह और कि पूर्व से निबंधित ट्रैक्टर एवं इसके टैलर का एक मुश्त पथकर पूर्व में भुगतान किये गये कर का सामंजन करते हुए उदग्रहित किया जाएगा"।

5 . झारखंड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-7 में अनुसूची-1 में भाग-घ, भाग (ड.) एवं भाग (च) का अन्तःस्थापन ।

(1) झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-7 की उपधारा 2 के अंतर्गत अनुसूची-1 भाग-घ को निम्नलिखित रूप से अन्तः स्थापित किया जाएगा:-

अनुसूची-1

भाग-घ

अनुसूची-1 भाग-ग में अंकित एकमुश्त कर भुगतान करने वाले वाहनों तथा टैक्टर एवं टैक्टर के ट्रेलर का कर की दर निम्नलिखित तालिका के अनुसार देय होगा।

(धारा-5 एवं 7 की उप-धारा (1) देखें)

क्रमांक	निबंधन का स्टेज	अनुसूची-1 भाग-ग में अंकित एक मुश्त कर भुगतान वाहनों तथा टैक्टर एवं टैक्टर के ट्रेलर के Sale Price के निम्न अंकित प्रतिशत पर आकलन किया जाएगा:-
1	2	3
	यदि वाहन पूर्व से निबंधित है और उसकी प्रथम निबंधन से उम्र-	वाहन के प्रथम निबंधन के समय भुगतान किये जाने वाले एकमुश्त कर का प्रतिशत
1	एक वर्ष से अधिक परन्तु दो वर्ष से कम	90 %
2	दो वर्ष से अधिक परन्तु तीन वर्ष से कम	80 %
3	तीन वर्ष से अधिक किन्तु चार वर्ष से कम	75 %
4	चार वर्ष से अधिक परन्तु पाँच वर्ष से कम	70 %
5	पाँच वर्ष से अधिक परन्तु छः वर्ष से कम	65 %
6	छः वर्ष से अधिक परन्तु सात वर्ष से कम	60 %
7	सात वर्ष से अधिक परन्तु आठ वर्ष से कम	55 %
8	आठ वर्ष से अधिक परन्तु नौ वर्ष से कम	50 %
9	नौ वर्ष से अधिक परन्तु दस वर्ष से कम	45 %
10	दस वर्ष से अधिक परन्तु ग्यारह वर्ष से कम	40 %
11	ग्यारह वर्ष से अधिक परन्तु बारह वर्ष से कम	40 %
12	बारह वर्ष से अधिक परन्तु तेरह वर्ष से कम	40 %
13	तेरह वर्ष से अधिक परन्तु चौदह वर्ष से कम	40 %
14	चौदह वर्ष से अधिक परन्तु पन्द्रह वर्ष से कम	30 %
15	पन्द्रह वर्ष से अधिक	30 %

(2) “झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-7 की उपधारा 2 के अंतर्गत संलग्न अनुसूची-1 भाग-ड. को निम्नलिखित रूप से अन्तः स्थापित किया जाएगा”।

अनुसूची-1

भाग-ड.

अनुसूची- 1 भाग-ग में अंकित एक मुश्त कर भुगतान करने वाले वाहनों तथा टैक्टर एवं टैक्टर के ट्रेलर के लिए कर वापसी की दर-तालिका
(धारा-7 की उप-धारा (2) देखें)

खण्ड	वापसी का स्केल	वाहनों की श्रेणी
		अनुसूची- 1 भाग-ग में अंकित एक मुश्त कर भुगतान करने वाले वाहनों तथा टैक्टर एवं टैक्टर के ट्रेलर
1	2	3
	निबंधन के बाद यदि वाहन के निबंधन का रद्दीकरण या राज्य से वर्हिगमन किया जाता हो	वाहनों के भुगतान किये गये एक मुश्त कर के रूप में दिए गये कर की वापसी
1	एक वर्ष के भीतर	70 प्रतिशत
2	एक वर्ष के बाद परन्तु दो वर्ष के भीतर	60 प्रतिशत
3	दो वर्ष के बाद परन्तु तीन वर्ष के भीतर	50 प्रतिशत
4	तीन वर्ष के बाद परन्तु चार वर्ष के भीतर	40 प्रतिशत
5	चार वर्ष के बाद परन्तु पाँच वर्ष के भीतर	30 प्रतिशत
6	पाँच वर्ष के बाद	शून्य

(3) “झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-7 की उपधारा 2 के अंतर्गत संलग्न अनुसूची-1 भाग-च को निम्नलिखित रूप से अन्तः स्थापित किया जाएगा”।

अनुसूची-I

भाग-च

मोटर वाहनों की वार्षिक किश्त की दर-तालिका
(धारा-5 की उप-धारा 1 देखें)

क्रमांक		गाड़ी की श्रेणी		मोटरवाहन कर की एक मुश्त दर	मोटर वाहन कर की वार्षिक किश्त किये जाने पर लिया जाने वाला दर
1		2		3	4
1		माल वाहक गाड़ी (ट्रेलर को छोड़कर)			
	क	1000 कि.ग्रा. तक निबंधित लदान क्षमता	i	1000 कि.ग्रा. तक निबंधित लदान क्षमता वाले मालवाहकों पर राज्य में निबंधन के समय निबंधन की तिथि से 10 वर्षों के लिए एक मुश्त कर रु. 9000/- उद्ग्रहित किया जायेगा। परन्तु उक्त श्रेणी के जो माल वाहक पूर्व से निबंधित हैं उन पर एक मुश्त कर की गणना पूर्व में भुगतान की गयी राशि को घटाकर की जाएगी। परन्तु और कि अगर वाहन द्वारा पूर्व में कर के रूप में 9000/- से अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया हो तो एक मुश्त कर देय नहीं होगा।	कॉलम-3 में निर्धारित एक मुश्त कर में एकमुश्त कर का 66% जोड़कर प्राप्त योगफल को 10 वर्षों के लिए वार्षिक किश्त में निर्धारण किया जायेगा।
			ii	10 वर्षों से अधिक पुराने माल वाहकों पर अगले प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए एक मुश्त कर रु. 9000/- उद्ग्रहित किया जायेगा। परन्तु उक्त वाहनों द्वारा देय एक मुश्त कर की गणना 10 वर्ष या 15 वर्ष की अवधि, जो लागू हो, के बाद भुगतान किये गये राशि को घटाकर की जाएगी; परन्तु और कि अगर वाहन द्वारा पूर्व में कर के रूप में रु. 9000/- से अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया हो तो उसे एक मुश्त कर देय नहीं होगा।	कॉलम-3 में निर्धारित एक मुश्त कर में एकमुश्त कर का 66% जोड़कर प्राप्त योगफल को 05 वर्षों के लिए वार्षिक किश्त में निर्धारण किया जायेगा।

	ख	1000 कि.ग्रा. से अधिक परन्तु 3000 कि.ग्रा. से अनधिक निबंधित लदान क्षमता	i	1001 से 3000 कि.ग्रा. तक निबंधित लदान क्षमता वाले मालवाहकों पर राज्य में निबंधन के समय निबंधन की तिथि से 10 वर्षों के लिए एक मुश्त कर रु. 7500/- प्रति टन अथवा उसके खण्ड वजन के दर से देय होगा। परन्तु ऐसे माल वाहक जो पूर्व से निबंधित हैं उन पर एक मुश्त कर की गणना पूर्व में भुगतान की गयी राशि को घटाकर की जायेगी।	कॉलम-3 में निर्धारित एक मुश्त कर में एकमुश्त कर का 66% जोड़कर प्राप्त योगफल को 10 वर्षों के लिए वार्षिक किश्त में निर्धारण किया जायेगा।
			ii	10 वर्षों से अधिक पुराने माल वाहकों पर अगले प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए एक मुश्त कर रु. 7500/- प्रति टन अथवा उसके खण्ड वजन के दर से उद्ग्रहित किया जायेगा। परन्तु यह कि उक्त वाहनों द्वारा देय एक मुश्त कर की गणना 10 वर्ष या 15 वर्ष की अवधि, जो लागू हो, के बाद भुगतान किये गये राशि को घटाकर की जायेगी। परन्तु और कि अगर वाहन द्वारा पूर्व में कर के रूप में प्रति टन अथवा उसके अंश पर रु. 7500/- से अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया हो तो उसे एक मुश्त कर देय नहीं होगा।	कॉलम-3 में निर्धारित एक मुश्त कर में एकमुश्त कर का 66% जोड़कर प्राप्त योगफल को 10 वर्षों के लिए वार्षिक किश्त में निर्धारण किया जायेगा।
2	क	मोटर कैब एवं ओमनी बस		टैक्सी/ मोटर कैब/ मैक्सी कैब पर जी.एस.टी. रहित क्रय मूल्य का 7% की दर से 12 वर्षों के लिए एक मुश्त कर उद्ग्रहित किया जायेगा एवं अगले 5 वर्षों के लिए एकमुश्त कर का 40% एवं 10% हरित कर जोड़कर उद्ग्रहित किया जायेगा। परन्तु ऐसे वाहनों द्वारा भुगतेय एक मुश्त कर की गणना पहले भुगतान की गई कर की राशि को अनुसूची-1 के अनुसार घटाकर की जायेगी।	कॉलम-3 में निर्धारित एक मुश्त कर में एकमुश्त कर का 83% जोड़कर प्राप्त योगफल को 12 वर्षों के लिए वार्षिक किश्त में निर्धारण किया जायेगा।

ख	तीन पहिया वाहन	d चार व्यक्तियों तक की बैठान क्षमता (चालक को छोड़कर) नये निबंधित तिपहिया वाहनों पर 15 वर्षों के लिए रु. 9000 (नौ हजार) एकमुश्त कर देय होगा। अथवा सभी तीन पहिया वाहनों पर जो निबंधन के समय एक वर्ष की उम्र तक के हो राज्य में प्रथम निबंधन की तिथि से 10 (दस) वर्षों के लिए एकमुश्त कर रु. 6,000 (छह हजार) देय होगा। अथवा 10 वर्षों से अधिक पुराने तिपहिया वाहनों पर अगले प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए एकमुश्त रु. 6,000 (छह हजार) कर देय होगा।	कॉलम-3 में निर्धारित एक मुश्त कर में एकमुश्त कर का 113% जोड़कर प्राप्त योगफल को 15 वर्षों के लिए वार्षिक किश्त में निर्धारण किया जायेगा। अथवा कॉलम-3 में निर्धारित एक मुश्त कर में एकमुश्त कर का 133% जोड़कर प्राप्त योगफल को 10 वर्षों के लिए वार्षिक किश्त में निर्धारण किया जायेगा। अथवा कॉलम-3 में निर्धारित एक मुश्त कर में एकमुश्त कर का 133% जोड़कर प्राप्त योगफल को 05 वर्षों के लिए वार्षिक किश्त में निर्धारण किया जायेगा।
		[k 7 व्यक्तियों तक की बैठान क्षमता (चालक को छोड़कर)- नये निबंधित तिपहिया वाहनों पर 15 वर्षों के लिए रु.13,500 (तेरह पाँच सौ) एक मुश्त कर देय होगा। अथवा सभी तीन पहिया वाहनों पर जो निबंधन के समय एक वर्ष की उम्र तक के हो राज्य में प्रथम निबंधन की तिथि से 10 वर्षों के लिए एकमुश्त कर रु. 9,000 (नौ हजार) कर देय होगा। अथवा दस वर्षों से अधिक पुराने वाहनों पर अगले प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए एकमुश्त 9,000 (नौ हजार) कर देय होगा।	कॉलम-3 में निर्धारित एक मुश्त कर में एकमुश्त कर का 264% जोड़कर प्राप्त योगफल को 15 वर्षों के लिए वार्षिक किश्त में निर्धारण किया जायेगा। अथवा कॉलम-3 में निर्धारित एक मुश्त कर में एकमुश्त कर का 250% जोड़कर प्राप्त योगफल को 10 वर्षों के लिए वार्षिक किश्त में निर्धारण किया जायेगा। अथवा कॉलम-3 में निर्धारित एक मुश्त कर में एकमुश्त कर का 250% जोड़कर प्राप्त योगफल को 10 वर्षों के लिए वार्षिक किश्त में निर्धारण किया जायेगा।

3	क्रेन, पोकलेन एवं यांत्रिक खुदाई वाहन (आगे की ओर बेलचा और पीछे की ओर खोदने वाला हस्त सहित अथवा अन्यथा संस्थापित काम करने वाली मशीन) जो सामान्य रूप से जे.सी.बी., बोरिंग मशीन अथवा अन्य निर्माताओं द्वारा निर्मित खोदक मशीन/यान के रूप में जानी जाती हो।	यान की जी.एस.टी. रहित कीमत का 7% एकमुश्त कर 12 वर्षों के लिए उद्ग्रहित किया जायेगा। अगले 5 वर्षों के लिए एकमुश्त कर का 40% एवं 10% हरित कर जोड़कर उद्ग्रहीत किया जायेगा।	कॉलम-3 में निर्धारित एक मुश्त कर में एकमुश्त कर का 83% जोड़कर प्राप्त योगफल को 12 वर्षों के लिए वार्षिक किश्त में निर्धारण किया जायेगा।
4	ट्रेलर (ट्रैक्टर ट्रेलर से भिन्न) 5000 कि.ग्रा. से अधिक निबंधित लदान क्षमता।	ट्रेलर की जी.एस.टी. रहित कीमत का 7% एकमुश्त कर 12 वर्षों के लिए उद्ग्रहित किया जायेगा। अगले 5 वर्षों के लिए एकमुश्त कर का 40% एवं 10% हरित कर जोड़कर उद्ग्रहित किया जायेगा।	कॉलम-3 में निर्धारित एक मुश्त कर में एकमुश्त कर का 83% जोड़कर प्राप्त योगफल को 12 वर्षों के लिए वार्षिक किश्त में निर्धारण किया जायेगा।
5	ट्रैक्टर	ट्रैक्टर की जी.एस.टी. रहित कीमत का 4% एकमुश्त कर 20 वर्षों के लिए उद्ग्रहित किया जायेगा।	ट्रैक्टर का वार्षिक किश्त रुपये 1000/- प्रतिवर्ष की दर से 20 वर्षों के लिए निर्धारित किया जायेगा।

6. (i) झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) अध्यादेश, 2019 एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।
(ii) ऐसे निरसन के बावजूद उक्त अध्यादेश के तहत किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तहत किया गया या की गई समझी जाएगी।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

संजय प्रसाद,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

17 दिसम्बर, 2020

संख्या-एल0जी0-09/2018-392/लेज0 -- झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक-11/12/2020 को अनुमत झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (संसोधन) अधिनियम, 2020 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

Jharkhand Motor Vehicle Taxation (Amendment) Act, 2020

(Jharkhand Act 11, 2020)

An Act to amend Jharkhand Motor Vehicle Taxation Act, 2001

Be it enacted by the legislature of the State of Jharkhand in the Seventieth (71st) year of the republic as follows:-

1. Short title, extent and commencement:-

- (1) This Act shall be called Jharkhand Motor Vehicle Taxation (Amendment) Act, 2020.
- (2) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.
- (3) It shall come into force with immediate effect.

2. After sub-section (7) of Section-7 of Jharkhand Motor Vehicles Taxation Act 2001, a new sub-section (8) shall be inserted as follows :-

"(8) The road tax for motor vehicles indicated in Part "C" of Schedule-1 of this Act and tractor which is registered before 31.01.2019 shall be paid at the rate prescribed in following schedule either one time or yearly installment as per the rate prescribed in annexed Schedule-1 Part "F". The owner of those vehicles may pay tax one time or yearly tax for due period per year as per their convenience. This facility is not available for vehicle registered after 31.01.2019.

Provided that in case of non-payment of one-time tax or yearly tax within specified time (within 30 days) from the date of commencement of this Act for the vehicles indicated in Schedule-1 Part "C", Part "F" and Tractor & Trailer of Tractor or in case of delayed payment of one-time tax or yearly tax, a fine amount at the rate of 2 % per month of due one-time tax or yearly tax shall be levied."

3. The column-6 of Schedule-I Part-"A" of section-7 of Jharkhand Motor Vehicle Act 2001 shall be substituted as follows:-

(i) Extra additional tax at the rate of 3 % of the cost price of the vehicle excluding GST shall be levied in addition to the rate specified under clause A&B column no. 5 i.e. (6+3)=9 % shall be levied from the owner of such vehicle who already owns a personalized four wheeler in his/her name.

(ii) Extra additional tax at the rate of 3 % of the cost price of the vehicle excluding GST shall be levied in addition to the rate specified under clause A&B column no. 5 i.e. (6+3)=9 % shall be levied from the owner of such vehicle whose cost price excluding GST is exceeding 15 lakhs and the owner of such vehicle doesn't own a personalized four wheeler in his/her name.

(iii) Those owners of vehicle having four wheeler already registered in their names purchase vehicle whose cost is more than 15 lakhs (excluding GST) shall be levied one-time tax (6+3+3)=12% of cost price of such vehicle excluding GST.

4. Sub-Section (7) of in section-7 of the Jharkhand Motor Vehicle Taxation Act 2001 shall be substituted as follows :-

"One-time tax at the rate of 4% of cost price of Tractor excluding GST shall be levied for 20 years.

Provided one-time tax at the time of registration of trailer of a tractor shall be liable to pay Rs. 5000 (Five Thousand Rupees) for 20 years.

Provided further that one time tax shall be levied on already registered tractor and its trailer by adjusting the previously paid tax."

5. Insertion of Part-"D", Part-"E" and Part-"F" in Schedule-I in Section-7 of Jharkhand Motor Vehicles Taxation Act, 2001.

(1) Schedule-I Part-"D" under sub-section-2 of Section-7 of Jharkhand Motor Vehicles Taxation Act, 2001 shall be inserted as follows:-

SCHEDULE-I,**Part- "D"**

**Rate chart of tax to be paid on vehicles paying one-time tax in
Schedule-I Part-"C" and Tractor & Trailer of tractor
(See Sub-section (1) of Section 5 & 7)**

Sl. No.	Stages of Registration	Vehicles paying one-time tax in Schedule-I Part-"C" and Tractor & Trailer of tractor
1	2	3
	If the Motor vehicle is already registered and its age from the first registration is	Percentage of one-time tax levied on one-time tax paid at the time of first registration
1	More than one year but less than two years	90%
2	More than two year but less than three years	80%
3	More than three year but less than four years	75%
4	More than four year but less than Five years	70%
5	More than Five year but less than Six years	65%
6	More than Six year but less than Seven years	60%
7	More than Seven year but less than Eight years	55%
8	More than Eight year but less than Nine years	50%
9	More than Nine year but less than Ten years	45%
10	More than Ten year but less than Eleven years	40%
11	More than Eleven year but less than Twelve years	40%
12	More than Twelve year but less than Thirteen years	40%
13	More than Thirteen year but less than Fourteen years	40%
14	More than Fourteen year but less than Fifteen years	30%
15	More than Fifteen years	30%

(2) Schedule-I Part-"E" under sub-section-2 of Section-7 of Jharkhand Motor Vehicles Taxation Act, 2001 shall be inserted as follows :-

SCHEDULE-I,**Part- "E"**

**Rate chart for refund of one-time tax of vehicles paying one-time tax in Schedule-I Part-"C"
and Tractor & Trailer of tractor
(See Sub-section (2) of Section-7)**

Sl. No.	Scale of refund	Vehicles paying one-time tax in Schedule-1 Part-"C" and Tractor & Trailer of tractor
1	2	3
	If after registration, de-registration of the vehicle or its exit from the State takes place	Refund of the tax paid as a percentage of one-time tax already paid.
1.	Within one year	70%
2.	After one year but within two years	60%
3.	After two year but within three years	50%
4.	After three year but within four years	40%
5.	After four year but within five years	30%
6.	After five year	0

(3) Schedule-I Part-"F" under sub-section-2 of Section-7 of Jharkhand Motor Vehicles Taxation Act, 2001 shall be inserted as follows :-

SCHEDULE-I**Part- "F"****Rate chart of Yearly Installment of Motor Vehicles
(See Sub-section (1) of section 5)**

Sl. No.		Class of Vehicle		One Time Tax rate of motor vehicles	Rate of Motor Vehicle Tax for payment as yearly installment
1		2		3	4
1		Goods carriage excluding Trailers -			
	a)	Upto 1000 Kgs registered laden weight capacity	i)	One time tax of Rs. 9000/- at the time of registration in the State for 10 year from the date of first registrations shall be levied on goods vehicles upto 1000 kg of weight capacity Provided that one time tax payable by such vehicles already registered shall be calculated after deduction of the tax amount already paid earlier Provided further that no one time tax shall be payable if the vehicle had already paid more than Rs. 9000/- as taxes	The amount of yearly installment will be fixed by dividing the addition of one-time tax prescribed in column-3 plus 66% of one-time tax for 10 years.
			ii)	For goods vehicles more than 10 years old one-time tax of Rs. 9,000/- shall be levied for a period of every five years thereafter shall be levied. Provided that one time tax payable by such vehicles shall be calculated after deducting the tax amount already paid after 10 years period or 15 years which ever may be applicable Provided further that no one time tax shall be payable if the vehicle has already paid more than Rs. 9000/- as taxes.	The amount of yearly installment will be fixed by dividing the addition of one-time tax prescribed in column-3 plus 66% of one-time tax for 05 years.
	b)	Exceeding 1000 kgs but not exceeding 3000 kgs of registered laden weight capacity	i)	One time tax of Rs. 7500/- per ton or part thereof at the time of registration for a period of 10 years from the date of first registration in the State shall be levied on goods vehicles upto 1001 to 3000 Kgs weight capacity. Provided that one time tax payable by such vehicle already registered earlier shall be calculated after deducting the tax amount already paid.	The amount of yearly installment will be fixed by dividing the addition of one-time tax prescribed in column-3 plus 66% of one-time tax for 10 years.
			ii)	For vehicle more than 10 years old one-time tax of Rs. 7500/- per ton or part thereof for a period of every five years thereafter shall be levied.	The amount of yearly installment will be fixed by dividing the addition of one-time tax prescribed in column-3 plus 66% of one-

				Provided that one time tax payable by such vehicles shall be calculated after deducting the tax amount already paid after 10 years or 15 years period which ever may be applicable. Provided further that no one time tax shall be payable if the vehicles has already paid more than Rs. 7500/- per ton or part thereof as taxes.	time tax for 05 years.
2	a)	Motor Cab and Omni Bus		One Time tax at the rate of 7% of the cost of taxi, motor cab, maxi cab excluding GST shall be levied for 12 years and 40% of one-time tax plus 10% green tax shall be levied for further 5 years. Provided that one time tax payable by such vehicles shall be calculated after deducting the tax amount already paid as per SCHEDULE-1	The amount of yearly installment will be fixed by dividing the addition of one-time tax prescribed in column-3 plus 83% of one-time tax for 12 years.
	b)	Three Wheeler vehicle	a)	Seating Capacity not more than 4 seats excluding driver :- One Time tax Rs- 9000/- for newly registered vehicles shall be levied for 15 years. OR One time tax of Rs. 6000/- on all three wheelers up to one year age at the time of first registration shall be levied for a period of 10 years from the date of registration in the State. OR One time tax of Rs. 6000/- (Six Thousand) on more than 10 years old three wheelers vehicles shall be levied for further five years.	The amount of yearly installment will be fixed by dividing the addition of one-time tax prescribed in column-3 plus 113% of one-time tax for 15 years. OR The amount of yearly installment will be fixed by dividing the addition of one-time tax prescribed in column-3 plus 133% of one-time tax for 10 years. OR The amount of yearly installment will be fixed by dividing the addition of one-time tax prescribed in column-3 plus 133% of one-time tax for 05 years.
			b)	Seating capacity up to 7 seats excluding the driver :- One time tax of Rs. 13500/- (Rs. Thirteen Thousand Five Hundred) on newly registered three wheelers vehicles shall be levied for 15 years. OR One Time Tax of Rs- 9000/- (Nine Thousand) on all the three wheelers Vehicles up to one year of age at the time of registration shall be levied from the date of first registration in the State for 10 years. OR One time tax of Rs. 9000/- (Nine	The amount of yearly installment will be fixed by dividing the addition of one-time tax prescribed in column-3 plus 264% of one-time tax for 15 years. OR The amount of yearly installment will be fixed by dividing the addition of one-time tax prescribed in column-3 plus 250% of one-time tax for 10 years. OR The amount of yearly installment will be fixed by

			Thousand) on more than 10 years old three wheelers vehicles shall be levied for further five years.	dividing the addition of one-time tax prescribed in column-3 plus 250% of one-time tax for 05 years.
3	Crane, Poclain and Mechanical digging vehicles (Shoval in front and hand digging device in rear side or otherwise installed working machine) generally known as J.C.B., Boaring Machine or digging Machine/vehicles, built by other manufacturers.		One time tax at the rate of 7% of the cost of the vehicle excluding GST shall be levied for 12 years. For further five years 40% of one-time tax plus 10% green tax shall be levied.	The amount of yearly installment will be fixed by dividing the addition of one-time tax prescribed in column-3 plus 83% of one-time tax for 12 years.
4	Trailer (Other than tractor-Trailer)- More than 5000 kgs registered laden weight capacity.		One time tax at the rate of 7% of the cost of the trailer excluding GST shall be levied. For further 5 years 40% of one-time tax plus 10 % green tax shall be levied.	The amount of yearly installment will be fixed by dividing the addition of one-time tax prescribed in column-3 plus 83% of one-time tax for 12 years.
5	Tractor		One time tax at the rate of 4% of the cost of the tractor excluding GST shall be levied for 20 years.	The amount of yearly installment will be fixed as Rs. 1000 per year for 20 years.

6. (i) Jharkhand Motor Vehicle Taxation (Amendment) Ordinance, 2019 is hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Act. Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the provisions of this.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

संजय प्रसाद,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।
